दिनांक 04.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 241/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मेटा के अलर्ट से पुलिस मुख्यालय लखनऊ के निर्देश पर आगरा पुलिस द्वारा, 17 वर्षीय छात्र की, मात्र 11 मिनट में, बचायी गयी जान

- आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए **आगरा** पुलिस ने **मात्र 11 मिनट** में पहुंचकर 17 वर्षीय छात्र का जीवन बचाया।
- दिनांक 03-05-2026 को **फेसबुक गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के कारण** उत्पन्न अवसाद में आत्महत्या संबंधी सुसाइडल नोट की पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा की गई।
- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशानुसार मुख्यालय को प्राप्त अलर्ट के आधार पर तत्काल छात्र की लोकेशन ट्रेस कर जनपद आगरा पुलिस को सूचित किया गया।
- दिनांक 01-01-2023 से 30-04-2026 तक इस पहल के अंतर्गत कुल **2700** व्यक्तियों के जीवन की रक्षा की जा चुकी है।

दिनांक 03-05-2026 को जनपद आगरा के थाना जेतपुर निवासी 17 वर्षीय छात्र द्वारा, सुसाइड नोट लिखकर तथा सुसाइड नोट के नीचे "**आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था अम्मी, इसलिए अपनी मौत का कारण इस लेटर में लिखता जा रहा हूँ मैं, अम्मी माफ कर देना मुझे**" यह टेक्स्ट लिखकर, इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया गया। उक्त पोस्ट के संबंध में दिनांक- 03-05-2026 को रात्रि 01:49 AM पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए एलर्ट प्राप्त हुआ। जिसका तत्काल संज्ञान लेकर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, श्री राजीव कृष्ण द्वारा उक्त एलर्ट पर तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मेटा कम्पनी द्वारा भेजे गये अलर्ट का संज्ञान लेकर मुख्यालय की सोशल मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त अलर्ट में उपलब्ध कराये गये मोबाइल नम्बर के आधार पर तत्काल छात्र की लोकेशन की जानकारी करके जनपद आगरा को प्रकरण से अवगत कराया गया।

मुख्यालय से प्राप्त सूचना एवं लोकेशन के आधार पर थाना जेतपुर के उप निरीक्षक मय पुलिस टीम **मात्र 11 मिनट के भीतर छात्र के घर पहुँच गए।** पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए परिजनों को छात्र द्वारा किए गए संदिग्ध पोस्ट की जानकारी दी और तुरंत उसके कमरे की ओर बढ़े। वहाँ पहुँचने पर देखा गया कि छात्र के हाथ में कीटनाशक की बोतल थी तथा पास में एक मोटी रस्सी भी रखी थी। पुलिस टीम के समय पर पहुँच जाने के कारण छात्र आत्महत्या का प्रयास नहीं कर सका। पुलिसकर्मियों ने परिजनों के सहयोग से छात्र को शांत कराया और उसके हाथ से कीटनाशक की बोतल सुरक्षित रूप से अपने कब्जे में ले ली।

स्थिति सामान्य होने के बाद पूछताछ में **छात्र ने बताया कि वह बीद्वितीय वर्ष का .ए. छात्र है। उसकी फेसबुक के माध्यम से एक युवती से मित्रता हुई थी, जो समय के साथ प्रेम संबंध में बदल गई और दोनों ने विवाह करने का निर्णय भी लिया था। किन्तु कुछ समय पूर्व आपसी विवाद के चलते युवती ने उससे संबंध समाप्त कर लिया, जिससे वह गहरे मानसिक तनाव और अवसाद में चला गया।** इसी मानसिक स्थिति के कारण उसके मन में आत्महत्या का विचार आया और उसने यह कदम उठाने का प्रयास किया। छात्र ने यह भी बताया कि उसने कीटनाशक पीने के साथसाथ फाँसी लगाने की - योजना बनाई थी, ताकि उसके बचने की कोई संभावना न रहे।

पुलिस कर्मियों द्वारा समय से पहुँच कर, छात्र को आत्महत्या करने से रोका गया एवं काउन्सलिंग की गयी, जिस पर छात्र द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया गया। छात्र के परिजनों द्वारा स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों की तत्परता तथा उनके सहयोग हेतु उ0प्र0 पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस एवं मेटा कम्पनी के मध्य 2022 से प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक अथवा इंस्टाग्राम पर आत्महत्या किए जाने से सम्बंधित पोस्ट करता है तो ऐसी पोस्ट के सम्बंध में मेटा कम्पनी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस को ई-मेल एवं फोन के माध्यम से अलर्ट भेजकर सूचित किया जाता है। दिनांक 01-01-2023 से 30-04-2026 के मध्य आत्महत्या संबंधी पोस्ट पर प्राप्त अलर्ट का संज्ञान लेकर कुल **2700** व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश पुलिस को मेटा सुसाइडल अलर्ट की नवीन पहल के लिए प्रतिष्ठित SKOCH Award-2025 तथा The Economic Times GovTech Awards- 2026 से सम्मानित किया गया है।

दिनांक 04.05.2026	
प्रेस विज्ञप्ति 242/2026	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0 थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर से वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त संदेश चौधरी एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।

दिनांक 04–05–2026 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 14/2026 धारा–103(1)/61(2)/3(5) बीएनएस में वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त संदेश चौधरी को जनपद–गाजीपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

संदेश चौधरी पुत्र मोहन चौधरी, निवासी मल्लाह पुरवा, थाना करण्डा, जनपद गाजीपुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

नेशनल हाइवे के पास रसडा जाने वाली सड़क पर थानाक्षेत्र कासिमाबाद जनपद गाजीपुर। दिनांकः 04–05–2026, समय प्रातः 06.30 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत कुछ समय से फरार पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ मुख्यालय के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एसटीएफ मुख्यालय टीम द्वारा थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 14/2026 धारा–103(1)/61(2)/3(5) बीएनएस में वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त संदेश चौधरी की गिरफ्तारी हेतु निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह यादव मु0आ0 प्रभात कुमार, नीरज कुमार मिश्रा, विजेन्द्र नाथ राय व अमित यादव की टीम अभिसूचना संकलन हेतु जनपद गाजीपुर में भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर व विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम

से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त संदेश चौधरी, पत्नी से मिलने लुक छिप कर गाजीपुर जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास कर, मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुॅचकर अभियुक्त संदेश चौधरी उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त संदेश चौधरी उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि अभिषेक उर्फ गोलू और प्रद्युम्न उर्फ यशवन्त व अन्य एक के साथ सिंगेरा पट्टी गया था, जहाँ पर दीपक राजभर से विवाद हो गया और आवेश में आकर हम लोगों ने दीपक को गोली मार दिया उसके बाद वहाँ से हम लोग अलग अलग तरफ भाग गये। फरारी के दौरान बिहार के ग्राम अकोढा रामगढ व दिल्ली तथा नोएडा में लुक छिप कर रह रहा था। आज पत्नी से मिलने लुक छिप कर जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त संदीप वर्मा उपरोक्त को थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–14/2026 धारा–103(1)/61(2)/3(5) बीएनएस में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर के द्वारा की जायेगी।

अभियुक्त संदेश चौधरी का ज्ञात आपराधिक इतिहासः

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	117/2021	188,269,270 भा0द0वि0	करण्डा	गाजीपुर
2	183/2021	25,27,29,6 आर्म्स एक्ट व 380,411 भा0द0वि0	करण्डा	गाजीपुर
3	196/2022	147,323,506 भा0द0वि0	करण्डा	गाजीपुर
4	04/2023	3, 25 आर्म्स एक्ट	करण्डा	गाजीपुर
5	66/2023	323,504,506 भा0द0वि0	करण्डा	गाजीपुर
6	225/2025	3,25, आर्म्स एक्ट व 318(4),319(2), 336(3),338,340(2) बी0एन0एस0	करण्डा	गाजीपुर
7	431/2025	303(2), 317(2) बी0एन0एस0	लंका काशी,	कमिश्नरेट वाराणसी
8	14/2026	25,27,3 आर्म्स एक्ट व 103(1)3(5),61(2) बी0एन0एस0	कासिमाबाद	गाजीपुर

कमिश्नरेट आगरा/थाना ट्रांस यमुना

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 03/04.05.2026 की रात्रि थाना ट्रांस यमुना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनएच 02 झरना नाले से शाहदरा की तरफ जाने वाले सर्विस रोड पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मोनू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 30 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना ट्रांस यमुना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना ट्रांस यमुना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोनू निवासी नंगला रामबल थाना ट्रांस यमुना कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–नगद रूपये।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद इटावा/थाना सैफई

- **08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 14 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 03/04.05.2026 की रात्रि थाना सैफई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रकूईया नहर पुल के पास से 08 अभियुक्तों 1–विनय 2–महकेन्द्र उर्फ गोलू 3–संजय उर्फ संजू 4–पवन 5–सौरभ उर्फ शीलू 6–निखिल कुमार 7–धर्मेन्द्र उर्फ लुक्का 8–राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 14 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सैफई पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विनय निवासी ग्राम राजपुर थाना किशनी जनपद मैनपुरी।

2–महकेन्द्र उर्फ गोलू निवासी नगरिया थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी।

3–संजय उर्फ संजू निवासी ग्राम भाती पोस्ट कुर्रा जनपद मैनपुरी।

4–पवन निवासी बम्हनीपुर थाना किशनीपुर जनपद मैनपुरी।

5–सौरभ उर्फ शीलू निवासी ग्राम धरमनीर थाना बेवर जनपद मैनपुरी।

6–निखिल कुमार निवासी कुंडी थाना बेवर जनपद मैनपुरी।

7–धर्मेन्द्र उर्फ लुक्का निवासी कुंडी थाना बेवर जनपद मैनपुरी।

8–राहुल निवासी नंगला मनी थाना किशनी जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1–चोरी की 14 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

➢ जनपद सीतापुर/थाना इमलिया सुल्तानपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना इमलिया सुल्तानपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–संजय

को धारा 302/147/148/504/506 भादवि व 25(1–बी) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 2–राकेश 3–मुन्ना एवं 4–अभियुक्ता को धारा 302/147/148/504/506 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 09–09 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद औरैया/थाना को0औरैया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना को0औरैया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(1)/363/366 भादवि, 4(1) पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मनीष को आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना कटका (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना कटका पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राकेश कुमार को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बस्ती/थाना नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बैजनाथ को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————